

Order Sheet [Contd]

Case No 05 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
06-01-2017	<p>आवेदक/आरोपी रामलखन की ओर से श्री मनोज श्रीवास्तव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अभिलेखागार गोहद जिला भिण्ड से प्र०क्र० 904/2007 ई.फौ. शासन वि० लाखनसिंह आदि का मूल अभिलेख प्राप्त।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा आवेदक एवं अन्य सहआरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें कि आवेदक का विचारण चल रहा था। इसी दौरान आवेदक के सगे बहनोई राजेन्द्र को कैंसर हो जाने एवं उनकी देखरेख हेतु कोई अन्य व्यक्ति न होने से आवेदक के द्वारा उनका इलाज ग्वालियर व दिल्ली में लगातार उनके साथ रहकर करवाया और दिनांक 04.07.2016 को आवेदक के बहनोई की उनके गांव भैसोरा जिला मुरैना में मृत्यु हो गई और वह उक्त कारणों से न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था। आवेदक न्यायालय में उपस्थित होना चाह रहा था, किन्तु इसी दौरान आवेदक के गर्दन के उपर हड्डी बढने से चक्कर आने लगे और चलने फिरने में असमर्थ हो गया था और उसके द्वारा अपना इलाज ग्वालियर में दिनांक 01.08.16 से लगातार 03.10.16 तक करवाया गया। पुलिस गोहद के द्वारा न्यायालय में गलत रिपोर्ट देने पर आवेदक के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी कर प्रकरण में सहआरोपीगण को विचारण उपरांत दोषमुक्त किया गया है। आवेदक स्थानीय निवासी है वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। उसकी अनुपस्थिति उसके एवं उसके बहनोई की बीमारी के कारण हुई है। पुलिस गोहद उसे गिरफ्तार करना चाहती है। अतः आवेदक को उचित अग्रिम जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन</p>	

किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी के द्वारा विचारण के दौरान दिनांक 14.10.2015 को अंतिम तर्क की स्टेज पर अनुपस्थित होने से उसके जमानत मुचलके जप्त किए गए हैं एवं उसे फरार घोषित कर उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

आवेदक अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आवेदक उसके बहनोई जिसे कि कैंसर की बीमारी थी और उनके देखरेख हेतु कोई भी नहीं उसका इलाज कराने दिल्ली गया था एवं स्वयं के बीमार हो जाने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया था। उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया कि प्रकरण में सहआरोपीगण को दोषमुक्त किया जा चुका है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपी जो कि प्रकरण में पूर्व से उपस्थित था एवं जमानत पर था। उसके विचारण के दौरान अनुपस्थित हो जाने जमानत मुचलके उन्मोचित कर गिरफ्तारी वारंट का आदेश हुआ है। ऐसी दशा में अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू भी नहीं होते हैं।

विचारोपरांत आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख वापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी0सी0थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)